72

संख्या– \ /XV-2/01(07)/2006(म0डे0)

प्रेषक,

आर0के0 सुधांशु,
प्रभारी सचिव (स्वतंत्र प्रभार),
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
डेरी विकास विभाग,
मंगलपड़ाव, हल्द्वानी (नैनीताल)।

पशुपालन अनुभाग– 02 देहरादून, दिनांक 06 अगस्त 2012

विषयः–वित्तीय वर्ष 2012–13 में अनुदान संख्या–30 आयोजनागत (एस0सी0एस0पी0) अन्तर्गत महिला डेरी विकास योजना में वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रमुख सचिव, (वित्त) के शासनादेश संख्या–321/XXVII(1)/2011, दिनांक 19–06–2012 के क्रम में एवं आपके पत्र संख्या–618/लेखा–प्रस्ताव एससीएसपी पत्रा0/2012–13, दिनांक 09–07–2011 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2012–13 में महिला डेरी विकास योजना अनुसूचित जाति के कल्याणार्थ डेरी विकास विभाग को कुल धनराशि ₹ 6.67 लाख (₹ छः लाख सड़सठ हजार मात्र) निम्नांकित मदों में निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखते हुए इसे आहरण कर व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :–

धनराशि (लाख ₹ में)

क0सं0	मद का नाम	प्रस्तावित धनराशि
1.	महिला दुग्ध समितियों का गठन	0.88
2.	सुपरवीजन, मॉनीटरिंग एवं एडमिनिस्ट्रेशन	5.16
3.	प्रपोलसन चार्जेज	0.23
4.	एक्सटेनशन एण्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम	0.17
5.	ओवरराईडिंग कॉस्ट	0.23
	कुल योग :–	**6.67**

1. सुपरवीजन, मॉनीटरिगं मद की धनराशि अनुसूचित जनजाति बाहुल्य महिला दुग्ध समितियों पर समितियों के पर्यवेक्षण अथवा कार्यालय में कार्यरत अनुसूचित जनजाति के कार्मिकों वेतन–भत्ते का भुगतान पर व्यय नहीं की जायेगी यदि जनजाति बाहुल्य समितियों के पर्यवेक्षण एवं कार्यालय की पृथक से व्यववस्था की गई है तब ऐसे पर्यवेक्षण एवं कार्यालय में लगें कार्मिकों के वेतन–भत्ते का भुगतान किया जा सकता है । इसी प्रकार प्रपल्सन चार्जेज, ओवरराईडिगं कास्ट एवं एक्सटेंशन एवं ट्रेनिंग कार्यक्रम मदों हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि पर प्रकिया का अनुपालन किया जायेगा ।

2. धनराशि को व्यय किये जाने से पूर्व जहॉ कहीं आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाए। शासन द्वारा समय–समय पर जारी मितव्ययता संबंधी निर्देशों का पालन अवश्य किया जायेगा।

3 बजट मैनुअल में निर्धारित प्रकिया के अन्तर्गत कोषागार द्वारा प्रमाणित बाउचर संख्या एवं दिनांक प्रतिमाह की 5 तारीख तक प्रपत्र बी0एम0–13 पर विभागाध्यक्ष द्वारा सूचना शासन को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जायेगी।

4. अवमुक्त की जा रही धनराशि का दिनांक 31–3–2013 तक उपयोग कर उपयोगिता प्रमाणक, भौतिक एवं वित्तीय प्रगति शासन को उपलब्ध कराई जायेगी।

5. इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याक्षा में अनाधिकृत रूप से व्यय न किया जाय। धनराशि का व्यय करते समय वित्तीय हस्त पुस्तिका में उल्लिखित नियमो एवं क्रय संबंधी शासनादेशों का पालन किया जायेगा। धनराशि का व्यय एवं आहरण आवश्यकतानुसार ही किया जाय।

6. विभिन्न मदों में व्ययभार/देयता सृजित होने पर यथाशीघ्र धनराशि आहरित कर भुगतान की जायेगी एवं कोई भी भुगतान अनावश्यक लम्बित नहीं रखा जायेगा।

7. किसी भी शासकीय व्यय हेतु प्रोक्यौरमेन्ट रूल्स 2008, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–01, (वित्तीय अधिकार प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–05 भाग–01 (लेखा नियम), आय–व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। साथ ही मितव्ययता सम्बन्धी आदेशों, डी.जी.एस.एन.डी की दरें, टेण्डर/कोटेशन विषयक नियमों के संबंध में शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के दिशा–निर्देशों का भी पूर्णतः अनुपालन किया जाये।

8. जो बिल कोषागार को भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाय उनमें स्पष्ट रूप से लेखाशीर्षक के साथ सम्बन्धित अनुदान संख्या का भी उल्लेख अवश्यमेव किया जाय।

9. धनराशि का उपयोग उपरान्त कराये गये कार्यो की योजनावार/लाभार्थिवार/ग्रामवार सूची एवं व्यय का विवरण समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ को उपलब्ध कराया जायेगा।

2– उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 में अनुदान संख्या–30 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–2404–डेरी विकास–00–102–डेरी विकास परियोजनायें–02–अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान–0202–महिला डेरी विकास योजना–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नाम डाला जायेगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 28 मार्च, 2012 में निहित प्राविधानानुसार www.cts.uk.gov.in से साफ्टवेयर के माध्यम से निर्गत विशिष्ट एलाटमैन्ट आई0डी0 संख्या तथा वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–46(P) वित्त–4/2012, दिनॉक 31 जुलाई, 2012 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(आर0के0 सुधांशु)
प्रभारी सचिव (स्वतंत्र प्रभार)।

संख्या : 7620(1)/XV-2/01(07)2006 तद्दिनांक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड़, देहरादून, उत्तराखण्ड।
2. मण्डालायुक्त, कुमायूँ/गढ़वाल, उत्तराखण्ड।
3. कोषाधिकारी, हल्द्वानी (नैनीताल), उत्तराखण्ड।
4. स्टाफ ऑफिसर–प्रमुख सचिव एवं आयुक्त,वन एवं ग्राम्य विकास विभाग को अवगत कराने हेतु।
5. निजी सचिव–मंत्री, डेरी विभाग को मा0 मंत्री जी को अवगत कराने हेतु।
6. वित्त अनुभाग–4/नियोजन विभाग/समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
7. निदेशक, बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जी0बी0 ओली)
संयुक्त सचिव।